विधान सभा (निरर्हता हटाना) अधिनियम, 1951

(1951 का अधिनियम संख्यांक 15)

उद्देशिका--भारत के संविधान के अनुच्छेद 238 के साथ पठित अनुच्छेद 191 के खंड (1) के उपखंड (क) के अनुसरण में कुछ पदों को ऐसे पद घोषित करना समीचीन है जो उनके धारकों को केरल राज्य की विधान सभा के सदस्यों के रूप में चुने जाने या बने रहने से निरर्हित नहीं करेंगे ।

निम्नलिखित अधिनियमित किया जाता है :--

1. संक्षिप्त नाम और प्रारंभ--(1) इस अधिनियम का संक्षिप्त नाम विधान सभा (निरर्हता हटाना) अधिनियम, 1951 है ।

(2) यह तुरंत प्रवृत्त होगा ।

2. सदस्यता के लिए कतिपय निरर्हताओं का हटाना--कोई भी व्यक्ति केरल राज्य की विधान सभा का सदस्य चुने जाने या बने रहने के लिए केवल निम्नलिखित कारणों से निरर्हित नहीं होगा :--

(i) कि वह केरल राज्य की विधान सभा के सदस्यों को वेतन और भत्तों के संदाय से संबंधित तत्समय प्रवृत्त विधि के अधीन वेतन और भत्ते अथवा भारत सरकार या भारत के संविधान की पहली अनुसूची में विनिर्दिष्ट किसी राज्य सरकार द्वारा गठित किसी समिति या बोर्ड के सदस्य के रूप में सेवा करते समय यात्रा और दैनिक भत्ते पाने का हकदार है ; या

(ii) कि वह भारत सरकार या भारत के संविधान की पहली अनुसूची में विनिर्दिष्ट किसी राज्य सरकार के अधीन कोई ऐसा पद धारण करता है जिसके लिए भारत या किसी ऐसे राज्य की संचित निधि से संदेय वेतन या फीस द्वारा पारिश्रमिक प्राप्त नहीं करता ; या

(iii) कि वह भारत के संविधान के मलयालम में अनुवाद के लिए गठित समिति का सदस्य है ; या

(iv) कि वह किसी सरकारी संस्था से भिन्न किसी शैक्षिक संस्था में कोई पद धारण करता है ; या

(v) कि वह राष्ट्रीय कैडेट कोर अधिनियम, 1948 (1948 का केंद्रीय अधिनियम 31) के अधीन समुत्थापित और बनाए रखे गए या प्रादेशिक सेना अधिनियम, 1948 (1948 का केंद्रीय अधिनियम 46) के अधीन समुत्थापित और बनाए रखे गए प्रादेशिक सेना में कोई पद धारण करता है ; या

(vi) कि वह रिजर्व और सहायक वायु सेना अधिनियम, 1952 (1952 का 62) के अधीन समुत्थापित वायु रक्षा रिजर्व या सहायक वायु बल का एक सदस्य है ; या

(vii) कि वह केरल राज्य विधि आयोग के अध्यक्ष या सदस्य का पद धारण करता है ; या

(viii) कि वह सरकार द्वारा गठित राज्य योजना बोर्ड का अध्यक्ष या उपाध्यक्ष या सदस्य है या सरकार द्वारा गठित पिछड़ा वर्ग आरक्षण आयोग का सदस्य है ।

3. सदस्यता के लिए कतिपय अन्य निरर्हताओं का हटाना--कोई भी व्यक्ति केरल राज्य विधान सभा का सदस्य होने के लिए केवल इस कारण निरर्हित नहीं होगा या निरर्हित नहीं समझा जाएगा कि ऐसे व्यक्ति ने इस अधिनियम के प्रारंभ से पूर्व राज्य सरकार के अधीन ऐसा पद धारण किया है जो पूर्णकालिक पद नहीं है अथवा उसने सरकारी संस्था से भिन्न किसी शैक्षिक संस्था में कोई पद धारण किया है ।